

न्यायालय जिला कलेक्टर सवाईमाधोपुर

फर्द अहकाम

बउनवानी

शम्भू वगै.


बनाम

गोपाल वगै.

किस्म प्रकरण— मुन्तकिली प्रार्थना पत्र

प्रकरण संख्या 11/2020

आरसीएमएस संख्या 2020/00052

तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल ज ज	न./ता.अहकाम जो हुक्म की तामील में जारी हुआ
03.11.2020	<p>पत्रावली पेश हुई। वकील प्रार्थी एवं पैरोकार राजस्व उपस्थित। पैरोकार राजस्व द्वारा कथन किया कि यह मुन्तकिली प्रार्थना पत्र जिस पीठासीन अधिकारी के विरुद्ध प्रस्तुत किया गया है उनका स्थानान्तरण अन्यत्र हो जाने के कारण प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत उक्त मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infectious हो चुका है। एवं वकील प्रार्थी द्वारा भी प्रार्थना पत्र को नोट प्रेस कर दिया है इसलिए मुन्तकिली प्रार्थना पत्र खारिज फरमाया जावे। पैरोकार राजस्व के कथन से हम सहमत है। अतः प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत मुन्तकिली प्रार्थना पत्र Infectious हो जाने एवं वकील प्रार्थी द्वारा नोट प्रेस किये जाने के कारण खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो एवं बाद तकमील दाखिल अभिलेख की जावे। आज्ञा सुनायी गयी।</p> <p style="text-align: right;"> (नन्मूल पहाडिया) जिला कलेक्टर सवाई माधोपुर</p>	

